### Form-1

## Government of Uttarakhand Office of The District Collector :Udham Singh Nagar

	•
No: Coran I	Dated:20.12.21

### To whomsoever it may concern

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF), Government of india's Letter No:- 11-9/98-EC(pt.) Dated 3<sup>rd</sup> august 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, For Short) on the forest land proposed To be diverted for non-forest purposes read with MoEF's Letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued Certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.980 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural road Development Dept. Uttarakhand for Construction of Devipura to Gyanpur godi motor Road in Udham Singh Nagar District falls within Jurisdiction of Gyanpur godi Village's in Sitarganj Tehsils.

It is further Certified That:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.980** Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and district level committee are enclosed as annexure I to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) f other FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

उध्म सिंह Signature

(Full name of the official Seal of the District Collector)

#### Form-II

(For Project other than linear project)

Government of ... Uttanakhad ... Office of the District Collector. Udhan Singh Maga

Dated. 20/12/21

### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF), Government of india's Letter No:- 11-9/98-EC(pt.) Dated 3<sup>rd</sup> august 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, For Short) on the forest land proposed To be diverted for non-forest purposes read with MoEF's Letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued Certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.980 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural road Development Dept. Uttarakhand for Construction Devipura to Gyanpur Godi motor Road in Udham Singh Nagar District falls within Jurisdiction of Village's in Sitarganj Tehsils.

### It is further Certified That:

- (d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.980 Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and district level committee are enclosed.
- for such diversion (with full details of the project and its implications, in (e) the proposal vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA
- (f) the each of concerned gram sabha's has certifies that all formalities/processes under FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A Copy of certificate issued by the gram sabha of Gyanpur Godi village (s) is enclosed.
- (g) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a Quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present;
- (h) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) f other FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it
- (i) the rights of primitive tribal groups and pre-agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of FRA.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official Seal of the District Collector)

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT UDHAM SINGH NAGAR

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to been made & hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said propose.

Place:

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

Dated:

## भ्-अर्जन प्रमाण पत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंन्त्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो०नि०वि० (टी०एस०पी०) के अर्न्तगत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत ग्राम—देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी० 2 पर 60 मीटर स्पान के आर०आर०सी० पी०एस०सी० गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई—2.180 किमी०। विकासखण्ड सितारगंज जिला **उधम सिंह नगर** में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 136 / 111(2) / 20-29(प्रा0आ0) / 2018, देहरादून, दिनांक-1 फरवरी 2021 द्वारा स्वीकृत है। इस मार्ग को राज्य योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग से कराया जाना है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 0.980 है0 वनभूमि हेतु नियमानुसार वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव नोडल अधिकारी देहरादून कार्यालय में ऑन लाईन करने हेतु गठित किया गया है। वनभूमि की आवश्यकता को न्यूनतम 0.980 है0 रखने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव में नाप भूमि 0.546 है0 ग्राम सभा ज्ञानपुर गोढी की कुल 25 कास्तकारों से नियमानुसार लेना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बिन्धित काश्तकारों से नियमानसार सहमति "से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को स-समय उपलब्ध करा दी जायेगी

एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण बाधित नहीं होगा।

जिलाधिकारी-उधम सिंह नगर फोन नं0जिलाधिकारी उधम सिंह नगर (शासकीय मोहर / दिनांक)

### प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:— वित्तीय वर्ष 2020—21 में माननीय मुख्यमंन्त्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो०नि०वि० (टीं०एस०पी०) के अर्न्तगत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत ग्राम—देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी० 2 पर 60 मीटर स्पान के आर०आर०सी० पी०एस०सी० गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई—2.180 किमी० हेतु 0.980 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

### कार्यालय उप जिलाधिकारी सिंतारगंज अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज

उपखण्ड सिंतारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग (0.980 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.000 है0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.980 है0 वनभूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सितारगंज) की दिनांक—......../ ......./ 2021... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री तुषार सैनी उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद उधम सिंह नगर में वित्तीय वर्ष 2020—21 में माननीय मुख्यमंन्त्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लोठनिठिठ (टीठएसठपीठ) के अन्तर्गत देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग हेतु 0.980 हैं0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **हल्द्वानी** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रापा क्षेत्र प्राप्त क्षेत्र स्थाप सिंह नगर

Shi man Shi

क्यम सिंह नगर

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सिंतारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.980 है0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी है।

ऐंचता, वि०ख०सितारगंज

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-.सितारगंज जनपद-उधम सिंह नगर

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हराई वृद्धी वन प्रभाग हल्द्वानी

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-सितारगंज जनपद-उधम सिंह नगर

परियोजना का नाम:— वित्तीय वर्ष 2020—21 में माननीय मुख्यमंन्त्री जी की घोषणा संख्या 19/2018 लो०नि०वि० (टी०एस०पी०) के अर्न्तगत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत ग्राम—देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी० 2 पर 60 मीटर स्पान के आर०आर०सी० पी०एस०सी० गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) लम्बाई—2.180 किमी० हेतु 0.980 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम (1)ज्ञानपुर गोढ़ी तहसील– सितारगंज, जिला–उधम सिंह नगर।

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अर्न्तगत ग्राम—देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एंवम् किमी० 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0आर0सी० पी०एस0सी० गर्डर पुल के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।(लम्बाई—2.180 किमी०) हेतु निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.980 है0 सिविल सोयम भूमि 0.000 है0, वन पंचायत भूमि 0.000 है0 अर्थात कुल 0.980, हे0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष-में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उवत प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (1)ज्ञानपुर गोढ़ी द्वारा सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनुपित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विरतृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपिश्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम (1)ज्ञानपुर गोढ़ी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोवता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकासी जन ग्राम संचिव ग्राम पंचायत देवी पुर्व विव्यवस्थित स्वीप्त विव्यवस्थित विव्यवस्य स्यवस्थित विव्यवस्थित विव्यवस्य स्यवस्य स्यवस्य स्यवस्य स्यवस्य स्यवस्य स्यवस्य स्यव

पार्वती देवी गाम प्रधान गाम पंचायत—दे शेपरा वि.ख.सितारगज,ऊ.सि.नगर

ग्राम प्रधान

नोट:—यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हा रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण प्रपन्न में दिया जाय। उक्त प्रपन्न प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1

# दिनांक ..!-!2-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत का नाम (1)ज्ञानपुर गोढ़ी।

क्रमांक	ग्राम सभा में उप्रिथत वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	one Lout the box
1	210114 पान प्राप्ति	हस्ताक्षर
2	कमले २ वृह्म	नागापुतापातं
3	विद्यित्रसाद	वाकित राज्याद
4	UPENder	3 Spendok
5	34agic -tiera	refendet
6	1021 E-2 2180	
7	शेष छोडे	(1919-2 -481)
8	मलकींट सिंह	4200
9	XIH 311x11 cy	XIH 311 2/10)
10	2/19:4/10	
11	2011/12/20	ZIN CUITO
12	आर्विन क्रमार	21313 USIS
13	गानिका दिसार सिंह	21001 CANI CON 11
14	युरेश याद्व	E O CME
15	भागिन्दर भारत	2
16	रीजनाय	
17	CHITE IN THE	Pany
18	214071	010141212
19	The state of the s	214 9416
20		112/201742
21		
22		
23		
24		
25		

ग्राम पंचायत विकासी ..... ग्राम पंचायत स्वीड्या विश्खाशितारगंज(फारिशन ग्राम प्रधान पार्वती देवी पार्वती देवी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत—देवीपुरा ख सितारगज, ऊ.सिनगर